राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या :— विज्ञापन सं. 07/2013—14 **दिनांक : 06.08.2013**

आयोग द्वारा निम्नलिखित पद हेतु ***ऑनलाइन आवेदन*** *आमंत्रित किए जाते हैं—*

1. **मोटर वाहन उपनिरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा, 2013** (राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के अन्तर्गत)

आवश्यक नोट :— संबंधित सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन होता है तो यह परीक्षा उसके अनुसार आयोजित की जाएगी।

पद व विभाग	पद संख्या	आयु	वेतनमान
मोटर वाहन उपनिरीक्षक, परिवहन विभाग	**146**	**दिः 01.01.14 को** न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 37 वर्ष से कम।	**रनिंग पे.बैण्ड—2 (9300—34800) ग्रेड पे (रू. 3600/—)**

1. योग्यता :—

(1) Must have passed Secondary Examination of a recognised Board; and

(2) A Diploma in Automobile Engineering. (3 years' course) or a diploma in Mechanical Engineering awarded by the State Board of Technical Education (3 years' course)

OR

Any qualification in either of the above disciplines declared equivalent by the Central Government or State Government; and

(3) Working experience of at least one year in a reputed Automobile Workshop which undertakes repairs of both light motor vehicles, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles fitted with petrol and diesel engines; and

(4) Must hold a driving License authorising him to drive Motor cycle, heavy goods vehicles and heavy passenger vehicles. Nothing contained in this Notification shall apply to persons whose names were under consideration for appointment to the post of Inspector of Motor Vehicles or Assistant Inspector of Motor Vehicles (by whatever names called) by the State Government prior to first day of July, 1989 or to an officer appointed to such post before the first day of July, 1989 or to an officer appointed to discharge functions of a non-technical nature.

2. अनिवार्य योग्यताः— Working Knowledge of Hindi written in Devnagri Script and Knowledge of Rajasthani culture.

नोट :— विभाग से रिक्त पदों का संशोधित विस्तृत वर्गीकरण प्राप्त होने पर यथा समय जारी कर दिया जाएगा। आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

2. शारीरिक सम्प्रयुक्तता (फिजीकल फिटनेस) :— प्रत्येक उम्मीदवार को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। प्रत्येक पुरूष उम्मीदवार की ऊँचाई तथा सीने की परिधि निम्नलिखित से कम न हो :—

(1) ऊँचाई :— 168 सेमी.

(2) सीना बिना फुलाये 81 सेमी. तथा फुलाने पर 86 सेमी. से कम नहीं।

नोट :— (1) पहाड़ी तथा जनजाति क्षेत्र के अभ्यर्थियों की ऊँचाई 160 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए तथा सीना बिना फुलाये 79 सेमी तथा फुलाने पर 84 सेमी से कम नहीं होना चाहिए।

(2) महिला उम्मीदवार की ऊँचाई एवं वजन क्रमशः 152 सेमी एवं 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए।

(3) ऊपर वर्णित शारीरिक सम्प्रयुक्तता के मापदण्डों के धारक राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवार वांछित संख्या में उपलब्ध न होने की स्थिति में अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों की ऊँचाई एवं सीने के माप में 5 सेमी तक छूट दी जा सकती है।

आवश्यक नोट :—

(1) आवेदक को वांछित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं ड्राइविंग लाइसेन्स आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त कर लेना चाहिए।

(2) शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के उपरान्त ही ख्याति प्राप्त कार्यशाला का वांछित एक वर्ष का अनुभव मान्य होगा।

3. आयु सीमा में छूट :— पद की विहित आयु सीमा में निम्नानुसार छूट होगीः—

(1) इस पद को आयोग द्वारा वर्ष 2011 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की गई थी। तत्पश्चात् इस पद का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23—09—2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2014 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देय होगी।

(2) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय है—

क्र. सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :— राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है :—"Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."		

नोटः— ''उक्त प्रावधान में दिए गए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट से सम्बन्धी प्रावधानों में तत्सम्बन्धी आरक्षित वर्गों के वर्गीकरण की परिवर्तनीय स्थिति में नियमानुसार छूट देय होगी। यदि किसी वर्ग में पद आरक्षित नहीं हुए तो उस वर्ग के अभ्यर्थियों को उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।''

(3) अपवादीय मामलों में राज्य सरकार 5 वर्ष की छूट दे सकती है ।

(4) That the upper age limit mentioned above shall be 50 years in the case of the Ex-Service Personnel and the reservists, namely the defence service personnel who were transfered to the Reserve.

(5) भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर कार्य कर चुके हों और इन नियमों के तहत नियुक्ति के पात्र थे के लिए ऊपर लिखी अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी ।

(6) उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, के लिए ऊपर लिखी अधिकतम आयु सीमा में उसके कारावास काल के बराबर छूट दी जायेगी ।

(7) राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रूप से कार्यरत कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।

(8) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के सार्वजनिक क्षैत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बंध में अधिष्ठायी (Substantive) सेवारत व्यक्तियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।

(9) राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत भूतपूर्व सैनिकों को 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए, परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।

(10) That the upper age-limit mentioned above shall be relaxed up to 45 years for the persons repatriated from Burma and Ceylon on or after 1-3-1963 and East African countries of Kenya, Tanganyika, Uganda and Zanzibar with a further relaxation up to 5 years in the case of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(11) निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे ।

(12) पूर्वी अफीका के देश कीनिया, तंजानिया, उगांडा एवं जंजीवार से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है।

(13) एन.सी.सी के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा ।

(14) 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है।

<u>नोट</u> :–

(क) उपरोक्त पैरा 2 के प्रावधान संख्या 2 से 14 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान **"Non Cumulative"** है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 2 से 14 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

(ख) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा ।

4. **पाठ्यक्रम –** इन पदों हेतु परीक्षा का पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोग की वेब–साईट पर जारी कर दिया जाएगा ।

5. <u>परीक्षा योजना</u> :– **Scheme of Examination & Syllabus for the post of Motor Vehicle Sub Inspector**

1 A Candidate must appear in all the papers. There will be three papers of Objective Type unless otherwise stated and a personality and viva-voce test. The name and the total marks and the time allowed for each paper will be as follows :-

Paper-I	General Knowledge and Everyday Science	100 Marks	2 Hrs.
Paper-II	Language Test	100 Marks	2 Hrs.
Paper-III	Automobile and Mechanical Engineering	200 Marks	3 Hrs

2. Personality and Viva-Voce Examination :-

I Candidate who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for interview, which carries 50 Marks.

II The standard of the papers will be that of a secondary/Polytechnic Diploma.

III All papers unless specifically required, shall be answered either in English or in Hindi, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi or partly in English unless specifically allowed to do so.

IV If a candidate's hand-writing is not easily legible a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

V Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all descriptive papers of the examination.

6. **<u>आवेदन तिथि</u> – आवेदन 12.08.2013 से दिनांक 15.09.2013 रात्रि 12–00 बजे तक के मध्य भरे जा सकेंगे (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)।** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

7. **<u>परीक्षा का माह एवं स्थान</u>–** मोटर वाहन उप निरीक्षक पद की परीक्षा की तिथि शीघ्र ही घोषित कर दी जाएगी । परीक्षा राजस्थान के अजमेर केन्द्र पर आयोजित किए जाने की संभावना है ।

8. **<u>अन्य बिन्दु व सूचना</u> :–<u>परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए</u>** आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर **दिनांक 01.01.13** को जारी **परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें।** इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http:// www.rpsc.rajasthan.gov.in** या **rpsconline.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212 एवं 5151200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(डॉ. के.के. पाठक)
सचिव